न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 22/2018

गुरचन्द आदि बनाम हरदेव सिंह आदि

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए)

--आदेश--

दिनांक : 16.03.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए में चक 10 एस की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 28/30 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 2 ,8 ,9 ,10, 11, 12, 13, 20, 21,22,3/4 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि में आने जाने के लिए चक 10 एस की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 175/156 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 21,22,23,24,25 में 2-2 बिस्वा रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से स्वीकृत करवाने की मांग की है। जबकि उक्त मुरब्बा नम्बर 45 की 3.162 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण द्वारा जगदीप सिंह, सुखदीप पुत्र सुखविन्द्र सिंह को जरिए रजिस्ट्रर्ड बैयनामा दिनांक 20.09.2018 को बेचान कर दी है। उक्त भूमि का इन्तकाल 850, 207 दिनांक 19.11.2018 जगदीप, सुखदीप पुत्र सुखविन्द्र सिंह के नाम दर्ज हो चुका है। करीब 1 वर्ष से खरीददार का कब्जा उक्त भूमि पर चला आ रहा है। उक्त भूमि से सम्बन्धित सभी अधिकार खरीदारान को प्राप्त हो चुके है। उक्त भूमि से सम्बन्धित प्रार्थीगण को कोई रास्ता मंजूर करवाने के अधिकार हासिल नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण के नाम कोई भूमि मुरब्बा नम्बर 45 मे दर्ज नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए चलने योग्य नहीं है। इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि अनवान सदर का प्रार्थना पत्र में कोई वाद हेतुक प्राप्त न होने के कारण व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्टेज पर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल वकील अप्रार्थी (वादी) को दिलवाई गई। वकील अप्रार्थी (वादी) के द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि आवेदन पत्र के रोज न केवल वादाधीन कृषि भूमि उक्त खाता में प्रार्थीगण के नाम दर्ज थी। अपितु उस पर कब्जा काश्त भी प्रार्थीगण के पास था और वैध रूप से अपने काश्त सम्बन्धी आत्यातिंक आवश्यकताओं के दृष्टिगत ही रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन पत्र के विचारण के दौरान प्रार्थीगण की ओर से भूमि बेचान के पश्चात खरीदारान द्वारा बतौर आवेदक प्रार्थीगण के स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदन विधि द्वारा वर्जित होने के कथन मिथ्या है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। नकल जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी) अधिवक्ता को दिलाई गई।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251क आरटीए इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। बहस में यह भी निवेदन किया कि उक्त मुरब्बा नम्बर 45 की 3.162 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण द्वारा जगदीप सिंह, सुखदीप पुत्र सुखविन्द्र सिंह को जरिए रजिस्ट्रर्ड बैयनामा दिनांक 20.09.2018 को बेचान कर दी है। करीब 1 वर्ष से खरीददार का कब्जा उक्त भूमि पर चला आ रहा है। उक्त भूमि से सम्बन्धित सभी अधिकार खरीदारान को प्राप्त हो चुके है। उक्त भूमि से सम्बन्धित प्रार्थीगण को कोई रास्ता मंजूर करवाने के अधिकार हासिल नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी (वादी) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए में कोई वाद हेतुक प्राप्त न होने व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी (वादी) अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवदेन किया कि प्रार्थीगण की ओर से भूमि बेचान के पश्चात खरीदारान द्वारा बतौर आवेदक प्रार्थीगण के स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

धारा 10(2) सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया जा चुका है। [illegible] द्वारा [illegible] नहीं है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रार्थना पत्र पर अवलोकन किया। अप्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में निवेदन किया है कि अप्रार्थी (वादी) के द्वारा मुरब्बा नम्बर 45 की 3.162 हैक्टेयर भूमि [illegible] सिंह, [illegible] पुत्र [illegible] सिंह को रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 20.09.2018 को बेचान कर दी है। उक्त भूमि के लिए रास्ता मंजूर करवाने के बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार सम्बन्धित खातेदार को है, ना की अप्रार्थी (वादी) को। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना [illegible] चाहते है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर अप्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे।

आदेश आज दिनांक 16.03.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर